



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243858
CG-DL-E-24022023-243858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]
No. 106]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद् प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-1500/2002-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि बिकानेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चौथा और पांचवां तल, चलाना हॉस्पिटल बिल्डिंग, सेक्टर 6, प्लॉट न. 1, जेएनवी कॉलोनी, जिला बिकानेर – 334003, राजस्थान, राजस्थान राज्य सरकार और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रमुख सचिव, (Health & FW) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, कक्ष संख्या 5208, सचिवालय, मुख्य भवन, जयपुर – 302005, राजस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-1500/2002-आईएनसी दिनांक 30/05/2022 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 30/05/2022 की एक प्रति बिकानेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चौथा और पांचवां तल, चलाना हॉस्पिटल बिल्डिंग, सेक्टर 6, प्लॉट न. 1, जेएनवी कॉलोनी, जिला बिकानेर – 334003, राजस्थान को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि बिकानेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मामले में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्थान बिकानेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जारी नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया है।

जबकि, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 18/03/2021 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां।

अब इस प्रकार, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 08/09/2022 से आगे बिकानेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चौथा और पांचवां तल, चालाना हॉस्पिटल बिल्डिंग, सेक्टर 6, प्लॉट न. 1, जेएनवी कॉलोनी, जिला बिकानेर – 334003, राजस्थान से जीएनएम की योग्यता रखने वाला हर एक व्यक्ति, राजस्थान राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल राजस्थान राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./633/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-1500/2002-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas **Bikaner Institute of Medical Science** situated at **04th & 05th Floor, Chalana Hospital Building, Sector 6, Plot No. 1, JNV Colony, District Bikaner – 334003, Rajasthan** is recognized by State Government of Rajasthan and Rajasthan Nursing Council to conduct GNM Course.

Whereas, a notice no. 18-1500/2002-INC dated 30/05/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (Health &FW), Department of Health & Family Welfare, Government of Rajasthan, Room No. 5208, Govt. Secretariat, Main Building, Jaipur – 302005, Rajasthan was issued. Copy of the notice dated 30/05/2022 was also enclosed to **Bikaner Institute of Medical Science** situated at **04th & 05th Floor, Chalana Hospital Building, Sector 6, Plot No. 1, JNV Colony, District Bikaner – 334003, Rajasthan**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Bikaner Institute of Medical Science**, Rajasthan. Even the institution **Bikaner Institute of Medical Science** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 18/03/2021 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 08/09/2022 any person holding a recognized qualification of GNM from **Bikaner Institute of Medical Science** situated at **04th & 05th Floor, Chalana Hospital Building, Sector 6, Plot No. 1, JNV Colony, District Bikaner – 334003, Rajasthan** shall be entitled to be registered only in the State of **Rajasthan** subject to the orders of State government of Rajasthan.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./633/2022-23]